

प्रशासनिक सेवाएँ तथा केंद्र बनाम दिल्ली सरकार

प्रलिस के लयः

भारतीय संवधान का 69वाँ संशोधन, संवधान का अनुच्छेद 239AA, सामूहिक उत्तरदायित्व

मेन्स के लयः

नई दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, सहकारी संघवाद, संवैधानिक संशोधन

चर्चा में क्यों?

प्रशासनिक सेवाओं पर नयितरण का मुद्दा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच ववाद का वषय बना हुआ है, जसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की [संवधान पीठ](#) द्वारा की जा रही है।

- इसी तरह के एक ववाद में एक अन्य संवधान पीठ द्वारा लगभग पाँच वर्ष पहले राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

ववाद की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 का नरिणयः**
 - दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के अपने फैसले में कहा था कषिष्ट्रीय राजधानी कषेत्र (NCT) के प्रशासनिक उद्देश्यों के लयि उपराज्यपाल को हमेशा मंत्रपरिषद की सलाह और सफारिशों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
 - वर्ष 2017 में अपील के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने [संवधान के अनुच्छेद 239AA](#) की व्याख्या पर नरिणय लेने के लयि मामले को आगे संदर्भति कयि।
- वर्ष 2018 का नरिणयः**
 - पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना था क दिल्ली के उपराज्यपाल को नरिवाचति सरकार की सहायता और सलाह लेनी चाहयि और दोनों को एक-दूसरे के साथ मलिकर काम करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2019 का नरिणयः**
 - सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सेवाओं के संदर्भ में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक असमान मत दयि तथा मामले को आगे की सुनवाई के लयि तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दयि था।
 - जबकि एकल न्यायाधीश ने नरिणय दयि था क दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है।
 - हालाँकि एक अन्य न्यायाधीश ने कहा था क नौकरशाही के शीर्ष अधिकारियों (संयुक्त नदिशक और उससे उच्च) की नयुक्ति तथा स्थानांतरण केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है तथा अन्य नौकरशाहों से संबंधति मामलों के लयि मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का वचार मान्य होगा।
- वर्ष 2022 का मामला:**
 - केंद्र ने 27 अपरैल, 2022 को एक बड़ी पीठ को संदर्भति करने की मांग यह तर्क देते हुए की क उसे राष्ट्रीय राजधानी और "राष्ट्र का चेहरा" होने के कारण दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नयुक्ति करने की शक्ति की आवश्यकता है।
 - न्यायालय ने सहमति वयक्त की क "सेवाओं" शब्द के संबंध में केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी कषेत्र दिल्ली की वधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधति सीमति प्रश्न को [संवधान के अनुच्छेद 145 \(3\)](#) के संदर्भ में संवधान पीठ द्वारा एक आधिकारिक नरिणय की आवश्यकता होगी।

मुद्दे में वाद और प्रतवादः

- वादः**
 - केंद्र लगातार कहता रहा है क चूँकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है इसलयि प्रशासनिक सेवाओं पर इसका

नयित्रण होना चाहिये, जसिमें नयिक्तयिँ और स्थानांतरण शामिल हैं।

■ प्रतवाडः

- दलिली सरकार ने तरक दयिा है कसिंघवाड के हति में नरिवाचति प्रतनिधियिँ के पास स्थानांतरण और नयिक्तकी शक्ति होनी चाहिये।
- दलिली सरकार ने यह भी दलील दी थी किराष्टरीय राजधानी कषेतर दलिली सरकार (संशोधन) अधनियिम, 2021 में हालयिा संशोधन संवधिन के मूल ढाँचे के सदधांत का उल्लंघन करता है।

नई दलिली का शासन मॉडलः

- संवधिन की अनुसूची 1 के तहत दलिली का दरजा एक केंद्रशासति प्रदेश का है, कति अनुच्छेद 239AA के तहत इसे 'राष्टरीय राजधानी कषेतर' का नाम दयिा गया है।
- भारत के संवधिन में 69वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239AA को सम्मलति कयिा गया, जसिने केंद्रशासति प्रदेश दलिली को एलजी द्वारा प्रशासति केंद्रशासति प्रदेश घोषति कयिा जो किरिवाचति वधिनसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है।
 - हालाँकि 'सहायता और सलाह' खंड केवल उन मामलों से संबंधति है जनि पर नरिवाचति वधिनसभा को सार्वजनकि व्यवस्था, पुलसि तथा भूमि के अपवाद के साथ राजय और समवरती सूची के तहत शक्तियिँ प्राप्त हैं।
- इसके अलावा अनुच्छेद 239AA यह भी कहता है किएलजी को या तो मंत्रपरिषदि की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा अथवा वह राष्ट्रपतिद्वारा लयिे गए नरिणय को लागू करने के लयिे बाध्य है।
- साथ ही अनुच्छेद 239AA में यह व्यवस्था है किरिपराज्यपाल और दलिली सरकार के बीच कसिी मुद्दे पर मतभेद होने पर एलजी मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है।
- इस प्रकार एलजी और नरिवाचति सरकार के बीच यह द्वैध नयित्रण सत्ता संघर्ष की ओर उनमुख हो जाता है।

आगे की राह

- संवधिन की संघीय प्रकृति इसकी मूल वशिषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है, इस प्रकार सत्ता में रहने वाले हतिधारक हमारे संवधिन की संघीय वशिषता की रक्षा करना चाहते हैं।
- भारत जैसे वविधि और बड़े देश में संघवाड के स्तंभों, यानी राज्यों की स्वायत्तता, राष्टरीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्टरीयकरण तथा कषेतरीयकरण के बीच एक उचति संतुलन की आवश्यकता है।
 - अत्यधिक राजनीतिक केंद्रीकरण या अराजक राजनीतिक विकेंद्रीकरण दोनों ही भारतीय संघवाड को कमज़ोर कर सकते हैं।
- इस विकिट समस्या का संतोषजनक और स्थायी समाधान वधिन-पुस्तक में नहीं बल्कि सत्ता में बटे लोगों की अंतरात्मा में खोजना होगा।
- लोकतंत्र के स्तंभों के रूप में सामूहकि उततरदायलित्व, सहायता और सलाह के साथ एक संतुलन खोजना एवं यह तय करना महत्त्वपूर्ण है किरदिलिली में सेवाओं पर केंद्र या दलिली सरकार का नयित्रण होना चाहिये या नहीं।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. क्या सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय (जुलाई 2018) दलिली के उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2018)

[स्रोतः इंडयिन एक्सप्रेस](#)